न्यायालय जिला पंजीयक (कलक्टर),सिरोही (राज.)

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 05/2014

अपीलार्थी	बनाम	रेस्पोडेन्ट
श्रीमती सुनीता पुत्री श्री घीसूलाल पत्नि श्री महेन्द्रजी जाति जैन निवासी हाल फ्लेट नं. 13–14, चौथी मंजिल, जयराज अपार्टमेन्ट, फडके हौद, कस्बा पेठ पोस्ट ऑफिस के सामने पुणे		राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक शिवगंज जिला सिरोही।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 72 भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908

उपस्थिति :

1. श्री अश्विन मरडिया, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. नायब तहसीलदार (पेरोकार राज.)

निर्णय **दिनांक : 13.12.2021**

अपीलार्थी ने यह अपील भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 की धारा 72 के तहत उप पंजीयक शिवगंज जिला सिरोही द्वारा दस्तावेज संख्या 2014000441 दिनांक 11.02.2014 के विरूद्ध दिनांक 10.03.2014 को प्रस्तुत की जिस पर अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेपोडेन्ट को नोटिस जारी किया । रेस्पोडेन्ट की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई । अपीलार्थी के लायक अधिवक्ता श्री अश्विन मरडिया द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि उप पंजीयक शिवगंज जिला सिरोही द्वारा प्रलेख को पंजीयन करने से मना करने में कानूनन व तथ्यात्मक भूल की है। अपीलांट अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि रेस्पोडेन्ट ने दस्तावेज पंजीयन करने का आधार सम्पत्ति विक्रय हो जाने, प्रकरण न्यायालय में होने व विक्रेता के नाम न होने को दर्शाया है। यह है कि प्रत्यर्थी को स्वत्व जांचने का विधि में अधिकार नहीं है। यह है कि रेस्पोडेन्ट ने यह गौर नहीं किया कि सम्पत्ति श्री घीसूलाल व उनके संयुक्त हिन्दू गृहस्थ की थी एवं श्री घीसूलाल के उत्तराधिकारियो में दो पुत्र श्री सुरेश व श्री महेन्द्र तथा एक पुत्री अपीलार्थी श्रीमती सुनीता एवं घीसूलाल की पत्नि श्रीमती शांतिदेवी है। यह है कि श्री घीसूलाल की मृत्यु के पश्चात सम्पत्ति में उक्त चारों का समान अधिकार था एवं श्री घीसूलाल की पत्नि श्रीमती शांतिदेवी को उक्त सम्पत्ति को अकेले विक्रय करने का अधिकार ही नहीं था। यह है कि प्रत्यर्थी आज उक्त सम्पत्ति में प्रत्यर्थी के स्वत्व अधिकारों को पूछ रहा है जबकि उसने अकेले शांतिदेवी को सम्पत्ति विक्रय करने के अधिकारों की पूछताछ व जांच नहीं की। यह है कि न्यायालय में वाद श्री सुरेश कुमार ने श्रीमती शांतिदेवी द्वारा सम्पूर्ण सम्पत्ति के किए गए विक्रय को लेकर दायर किया है एवं उक्त वाद से प्रत्यर्थी को कोई सरोकार नहीं है। श्रीमती शांतिदेवी द्वारा उक्त सम्पत्ति का किया गया विक्रय, अपीलार्थी के उक्त सम्पत्ति में अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है। यह है कि प्रत्यर्थी को उक्त विक्रय को चुनौती देना भी आवश्यक है। यह है कि प्रत्यर्थी उक्त सम्पत्ति में 1/4 हिस्सा स्वामित्व रखती है। यह है कि प्रत्यर्थी को अपीलार्थी के स्वामित्व अधिकार को प्रश्न करने का विधि में अधिकार नहीं है और न ही प्रत्यर्थी को प्रलेख की वैधता अथवा वैधानिकता को ही जांचने का अधिकार रखता है। यह है कि प्रत्यर्थी ने प्रलेख को प्रलेख स्वत्व न होने व न्यायाधीन प्रकरण होने का कारण दर्शाते हुए पंजीयन करने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:54:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला पंजीयक
सिरोही-307001

Scanned with CamScanner

इंकार करने का अधिकार ही नहीं था। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलांट की अपील को स्वीकार करना फरमावें। इस संबंध में इनके द्वारा विधिक दृष्टांत रिट पिटीशन नं. 9045/2008 निर्णय दिनांक 30.12.2008 तिरूमाला वेंकटा बनाम पोटला कृष्णा प्रसाद प्रस्तुत किया।

रेस्पोडेन्ट की ओर से बहस में पेरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि उपपंजीयक शिवगंज द्वारा उक्त आदेश पारित करने में किसी भी तरह की कोई काननून भूल नहीं की गई है। यह है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 11.02.2014 को हक त्याग का दस्तावेज प्रस्तुत किया था, जो उक्त दस्तावेज तत्कालीन उपपंजीयक द्वारा सम्पत्ति पूर्व में विक्रय होने व न्यायालय में प्रकरण होने से पंजीयन से इन्कार कर मूल दस्तावेज पक्षकार को लौटा दिया गया था। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे ।

दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भलीभॉति अध्ययन एवं अवलोकन किया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि उक्त विवादित सम्पत्ति श्री घीसूलाल व उनके संयुक्त हिन्दू गृहस्थ की सम्पत्ति है एवं श्री घीसूलाल के उत्तराधिकारियों में उनकी पत्नि श्रीमती शांतिदेवी, उनके दो पुत्र श्री सुरेश एवं श्री महेन्द्र तथा उनकी पुत्री श्रीमती सुनीता है। यह है कि श्री घीसूलाल की मृत्यु के पश्चात सम्पत्ति में उक्त चारों का समान अधिकार था। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी ने अपना हक त्याग के संबंध में दस्तावेज उपपंजीयक शिवगंज के यहां पंजीयन कराने हेतु प्रस्तुत किया। यह है कि उक्त दस्तावेज से संबंधित सम्पत्ति पूर्व में विक्रय हो चुकी है एवं उक्त सम्पत्ति से संबंधित प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है, इसी के आधार पर उपपंजीयक शिवगंज द्वारा उक्त दस्तावेजों को पंजीयन करने से इंकार करते हुए लौटा दिया गया। अतः सम्पत्ति के विक्रय किए जाने के पश्चात उक्त सम्पत्ति का पंजीयन करना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं अपीलांट अधीवक्ता द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टांत रिट पिटीशन नं. 9045/2008 निर्णय दिनांक 30.12.2008 तिरूमाला वेंकटा बनाम पोटला कृष्णा प्रसाद का अवलोकन करने से अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया ।

(भगवती प्रसाद)
जिला पंजीयक (कलक्टर),
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:54:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner